

**न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-102 / 2012

संस्थित दिनांक-21.02.2012

फाईलिंग क्र.234503001692012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----**अभियोजन**

// / विरुद्ध //

1. दुलीचंद पिता अंतुसिंह, उम्र-60,
निवासी ग्राम कुरेंडा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. रविन्द्र पिता ब्रम्हासिंह, उम्र-22 साल,
निवासी ग्राम कुरेंडा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. नेमूचंद पिता अंतुसिंह, उम्र-55 साल,
निवासी ग्राम कुरेंडा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----**आरोपीगण ।**

// / निर्णय //

(आज दिनांक-02/07/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 (दो काउंट), 325 (दो काउंट) एवं 506 भाग-2 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप है कि उनके द्वारा दिनांक-10.10.2011 को सुबह 7:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुरेंडा में लोकस्थान पर फरियादी इन्द्राबाई को साली मादरचोद के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया गया। आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में एकराय होकर आहत जसपाल एवं राधाबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई तथा आहत झुनकीबाई एवं इन्द्राबाई को लकड़ी से मारपीट कर उनकी अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की गई। आरोपीगण द्वारा फरियादी/आहत राधनबाई, झुमकीबाई, इन्द्राबाई और जसपाल को संत्रास कारित करने के आशय से उन्हें

जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-10.10.2011 को फरियादी इन्द्राबाई मरकाम ने थाना परसवाड़ा आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि जमीन के पट्टे की बात को लेकर गांव के दुलीचंद सैय्याम, रविन्द्र तथा नेमूचंद सैय्याम उसके घर आए और माँ-बहन की अश्लील गालियां दी तथा उसे तथा उसकी पुत्री झुनकीबाई, राधिनबाई तथा पुत्र जसपाल के साथ हाथ-घुसों व लकड़ी से मारपीट की। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-51/11, अंतर्गत धारा 294, 323 एवं 506, 34 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। आहतगण का मुलाहिजा सी.एच.सी. परसवाड़ा में कराया गया। विवेचना के दौरान आहतगण झुनकीबाई व राधिनबाई को फ्रेक्चर होने से प्रकरण में धारा-325 भा.द.वि. बढ़ाई गई। घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गए। घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त कर जप्तीपत्रक तैयार किया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय समक्ष पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323(दो काउंट), 325 (दो काउंट) एवं 506 भाग-2 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-10.10.2011 को सुबह 7:00 बजे ग्राम कुरेंडा थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी इन्द्राबाई को साली मादरचोद के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सह

अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में एकराय होकर आहत जसपाल एवं राधाबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में एकराय होकर आहत झुनकीबाई एवं इन्द्राबाई को लकड़ी से मारपीट कर उनकी अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया ?

4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी/आहत राधनबाई, झुनकीबाई, इन्द्राबाई और जसपाल को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 एवं 4 का निष्कर्ष :-

5- सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी इन्द्राबाई (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां उच्चारित किये जाने के विषय में तथा जान से मारने की धमकी के विषय में कोई कथन नहीं किये हैं। अभियोजन साक्षी झुनकीबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां देने के विषय में तथा जान से मारने के विषय में कोई कथन नहीं किये हैं। अभियोजन साक्षी राधनबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपीगण ने उसे माँ-बहन तथा वैश्या की गालियां दी थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। जान से मारने की धमकी के विषय में साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण द्वारा रिपोर्ट किये जाने से उनके विरुद्ध भी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। साक्षी चैनलाल (अ.सा.4), यमलसिंह (अ.सा.5) तथा प्रदीप (अ.सा.6) ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी अथवा अश्लील गालियां देने के विषय

में कोई कथन नहीं किया है। साक्षी जसपाल (अ.सा.9) ने कहा है कि आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी, परंतु धमकी सुनकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित हुआ था, इस बात का उल्लेख उसने नहीं किया है। अभियोजन साक्षी राधनबाई (अ.सा.3) ने कहा है कि आरोपीगण ने उसे गालिया दी थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी, परंतु साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपीगण ने इसी घटना के विषय में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिससे उसके विरुद्ध कार्यवाही हुई थी। मौके पर उपस्थित अन्य अभियोजन साक्षियों में से किसी ने भी आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां दिये जाने अथवा जान से मारने के विषय में उल्लेख नहीं किया है, मात्र साक्षी राधनबाई ने ही अश्लील गालियां दिये जाने के विषय में कथन किया है और स्वीकार किया है कि आरोपीगण से विवाद होने पर उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज हुआ था। घटना के समय मौके पर उपस्थित व्यक्तियों में से मात्र एक व्यक्ति द्वारा ही अश्लील गालियां दिये जाने का कथन किया गया है, शेष द्वारा नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 का अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-2 एवं 3 का निष्कर्ष :-

7- सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8- इन्द्राबाई (अ.सा.1) ने कहा है कि घटना 10 तारीख की सुबह 7:00 बजे की है। आरोपीगण के खेत पर घटना के एक दिन पहले उसका विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर आरोपीगण उसके घर आए और उसके पुत्र व पुत्री झुनकीबाई, राधनबाई तथा जसपाल के साथ मारपीट की थी। उसके बाद आरोपीगण ने खेत में उसके साथ मारपीट की थी। आरोपी रविन्द्र एवं नेमीचंद के हाथ में लकड़ी थी और आरोपी दुलीचंद के हाथ में हेण्ड पम्प की लकड़ी थी, जिससे उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। मारपीट में उसके दाएं हाथ की

अंगुली में तथा दाएं पैर में अस्थिभंग हो गया था। इसके अतिरिक्त उसकी पुत्री झुनकीबाई को भी बाएं हाथ में अस्थिभंग हुआ था। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। पुलिस मौके पर नहीं गई थी। एस.डी.एम साहब ने उसके बयान लेख किये थे। उसका चिकित्सीय परीक्षण बालाघाट अस्पताल में हुआ था।

9— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने पुलिस कथन देते समय पुलिस को बताया था कि आरोपी रविन्द्र और नेमीचंद के हाथ में साजा की लकड़ी थी तथा दुलीचंद के हाथ में हैण्ड पम्प का पाईप था, जिससे उन्होंने मारपीट की थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने जानकारी नहीं होना व्यक्त किया कि आरोपी दुलीचंद ने उसकी पुत्री एवं हिम्मतसिंह के संबंधों को लेकर अफवाह फैलाई थी। इन्द्राबाई (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन कर साक्षी झुनकीबाई (अ.सा.2) ने कहा है कि घटना 9 अक्टूबर शाम 7:00 बजे की है। उसकी माँ तथा आरोपीगण का झगड़ा हुआ था, इसलिए 10 अक्टूबर को आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। आरोपी दुलीचंद के हाथ में लोहे का पाईप तथा आरोपी नेमीचंद व रविन्द्र के हाथ में लकड़ी थी। मारपीट में उसके बाएं हाथ में अस्थिभंग हो गया था तथा उसके बहन भाई को भी चोट आई थी। आरोपीगण ने उसकी माँ के साथ मारपीट की थी, जिससे उसके पैर में अस्थिभंग हुआ था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में की थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में ईलाज के पश्चात् उन्हें ईलाज हेतु बालाघाट भेज दिया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी दुलीचंद रिश्ते में उसका मामा है। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी बहन राधन, हिम्मतसिंह नामक व्यक्ति के साथ मलाजखण्ड गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के विषय में आरोपीगण ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उनके विरुद्ध भी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है।

10- साक्षी राधनबाई (अ.सा.3) ने कहा है कि घटना दिनांक 10 अक्टूबर 2011 की है। जमीन की बात को लेकर आरोपीगण से उन लोगों का विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर आरोपीगण ने लकड़ी से उसके साथ मारपीट की थी। मारपीट में उसे तथा उसके परिवार के लोगों को चोट आई थी। उसका ईलाज परसवाड़ा तथा बालाघाट में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी दुलीचंद ने उसे नहीं मारा। साक्षी ने आरोपीगण से जमीन को लेकर विवाद होना स्वीकार किया।

11- साक्षी चैनलाल (अ.सा.4) ने कहा है कि घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की सुबह 7 बजे की है। आरोपीगण और फरियादीगण के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। आरोपीगण ने राधनबाई, झुनकीबाई, जसपाल के साथ मारपीट की थी। आरोपीगण ने इन्द्राबाई के साथ भी मारपीट की थी, जिसमें उसे चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपीगण ने उसके घर में घुसकर फरियादीगण के साथ मारपीट की थी, यह बात वह न्यायालय में पहली बार बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपीगण मिलकर फरियादीगण के साथ मारपीट कर रहे थे।

12- अभियोजन साक्षी जसपाल (अ.सा.9) ने कहा है कि घटना दिनांक-10.02.2010 की है। आरोपीगण उसके घर आए थे और उसके, राधनबाई, झुनकीबाई के साथ मारपीट की थी। आरोपीगण ने लोहे के पाईप तथा साजा की लकड़ी से मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी दुलीचंद रिश्ते में उसका मामा है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके पहले राधनबाई किसी लड़के के साथ मलाजखण्ड गई थी और यह बात आरोपी दुलीचंद ने लोगों को बताई थी।

13- अभियोजन साक्षी यमलसिंह (अ.सा.5) ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। यमलसिंह की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार प्रदीप (अ.सा.6) ने भी पुलिस द्वारा की गई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उसके समक्ष किये जाने से इंकार किया है।

14- अभियोजन साक्षी नेहरू (अ.सा.10) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-11.10.2011 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को साक्षी यमलसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-13 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी दुलीचंद से साक्षियों के समक्ष एक लकड़ी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने गवाहों के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 लगायत 5 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने गवाहों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने मौकानक्शा तथा अन्य विवेचना की कार्यवाही अपने मन से की थी।

15- डॉ. अवधेश गौर (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-10.10.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना परसवाड़ा के आरक्षक अनिल शर्मा द्वारा आहत जसपाल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। उसने आहत के दाहिने कंधे पर दो चोट, कन्ट्यूजन पाई थी। आहत को आई चोट साधारण प्रकृति की थी और उसके चिकित्सीय परीक्षण के 6 घंटे के अंदर की थी। उसने आहत के संबंध में चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 तैयार की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। इसी दिनांक को आहत झुनकीबाई को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। उसने आहत की दाहिनी कलाई, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा तथा दाहिने जांघ के बाहरी ओर कन्ट्यूजन की चोट पाई थी। आहत की कमर पर भी चोट होना पाई थी। उसके अभिमत में आहत को चोट उसके परीक्षण के 6 घंटे के अंदर की थी। उसने आहत के संबंध में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 तैयार की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

16- इसी दिनांक को उसने आहत राधनबाई का चिकित्सीय परीक्षण किया था। आहत की कमर में दाहिने ओर तथा पीठ में, बाईं जांघ में उसने

कन्ट्र्यूजन चोट पाई थी। उसने आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 तैयार की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। इसी दिनांक को उसने आहत इन्द्राबाई का चिकित्सीय परीक्षण किया था। आहत के दाहिने हाथ में सूजन, बाई पिण्डली में सूजन, दाएं पैर के बाहरी भाग में तथा पीठ में कन्ट्र्यूजन चोट पाई थी। उसने आहत के संबंध में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 तैयार की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने आहत इन्द्राबाई तथा झुनकीबाई को एक्सरे हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट रेफर किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आहतगण के विषय में झूठी रिपोर्ट तैयार की थी।

17— डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक-02.11.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-11.10.11 को टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत झुनकीबाई व इन्द्राबाई का एक्सरे लिया था, आहत झुनकीबाई की एक्सरे प्लेट क्रमांक-3725 है तथा आहत इन्द्राबाई की एक्सरे प्लेट क्रमांक-3724 है। एक्सरे प्लेट का परीक्षण किये जाने पर उसने आहत झुनकीबाई के दाहिने हाथ की अलना हड्डी के नीचले भाग में तथा स्टेलाईड प्रोसेस वाले भाग में अस्थिभंग होना पाया था तथा आहत इन्द्राबाई के दाहिने पैर की फिबुला हड्डी के उपरी तिहाई भाग में तथा दाहिने हाथ की अलना हड्डी के नीचले तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 एवं 8 है, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आहत झुनकी के बाएं हाथ में चोट नहीं थी तथा आहत इन्द्राबाई के बाएं हाथ की हड्डी पर चोट नहीं थी।

18— घटना दिनांक-10.10.2011 को घटित हुई थी, यह बात साक्षी राधनबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कही है। शेष अभियोजन साक्षी इन्द्राबाई, झुनकीबाई, जसपाल ने घटना घटित होने की दिनांक के विषय में कथन नहीं किया है, परंतु इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभासी कथन नहीं किये हैं। साक्षी इन्द्राबाई (अ.सा.1) ने कहा है कि आरोपीगण ने लकड़ी से उसके साथ

मारपीट की थी। आरोपी रविन्द्र, नेमीचंद ने साजा की लकड़ी से, जबकि दुलीचंद ने हैण्डपम्प की लकड़ी से मारपीट की थी, जिससे उसे चोट आई थी। इसी आशय का कथन झुनकीबाई (अ.सा.2) राधनबाई (अ.सा.3) ने भी किया है। उपरोक्त साक्षियों ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया है और कहा है कि आरोपीगण ने आहतगण/फरियादीगण के साथ मारपीट की थी। घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक को ही पुलिस थाना परसवाड़ा में दर्ज करा दी गई थी, यह बात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के अवलोकन से स्पष्ट हो रही है। फरियादी पक्ष से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह पूछा गया कि इस घटना के विषय में उनके विरुद्ध भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इसे फरियादी पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया था। इस प्रकार फरियादी पक्ष एवं आरोपीगण के बीच घटना दिनांक को विवाद होना प्रकट हो रहा है।

19— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 लेख किये जाने के पश्चात आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था। चिकित्सक साक्षी डॉ० अवधेश गौड़ (अ.सा.8) ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत आहत जसपाल के संबंध में चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.पी. 9 एवं आहत झुनकीबाई के संबंध में चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.पी.10 को प्रमाणित किया है। चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर अवधेश गौड़ (अ.सा.8) द्वारा चिकित्सीय परीक्षण दिनांक-10.10.2011 को ही किया गया था। यह बात रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 एवं 10 से प्रमाणित हो रही है। साक्षी डॉ० अवधेश गौड़ (अ.सा.8) ने राधनबाई के विषय में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-11 एवं आहत इन्दिराबाई के विषय में चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.पी.12 को अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है और कहा है कि उसके अभिमत में आहतगण को आई चोट उसके परीक्षण के 6 घंटों के अन्दर की थी। चिकित्सीय साक्षी डॉ० डी.के. राउत (अ.सा.7) ने आहत झुनकीबाई के विषय में एक्स-रे प्लेट क्रमांक-3725 का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्र.पी-7 को प्रमाणित कर यह कहा है कि उसने आहत के अलना हड्डी के निचले भाग में अस्थिभंग होना पाया था। साक्षी ने आहत इन्द्राबाई की एक्स-रे प्लेट क्रमांक-3724 का परीक्षण कर आहत के दाहिने पैर की फिबुला हड्डी एवं दाहिने हाथ में अलना हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था। इसी प्रकार विवाद के

पश्चात घटना घटित होने एवं घटना में आरोपीगण द्वारा आहतगण के साथ मारपीट किया जाना प्रमाणित हो रहा है। चिकित्सक साक्षियों डॉ. अवधेश गौड़ (अ.सा.8) तथा डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.7) की साक्ष्य से आहत जसपाल एवं राधनबाई को उपहति कारित होने तथा आहत झुनियाबाई व इन्द्राबाई को घोर उपहति कारित होना प्रमाणित हो रहा है। आरोपी दुलीचंद, रविन्द्र, नेमूचंद द्वारा यह मारपीट सामान्य आशय के अग्रसरण में की गई थी, यह बात भी अभिलेख पर अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से प्रमाणित हो रही है। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में अभियोजन साक्षियों से यह प्रश्न अवश्य पूछा गया है कि राधनबाई का हिम्मतसिंह नामक व्यक्ति के विषय में संबंध होने की बात आरोपी दुलीचंद द्वारा फैलाई गई थी, जिसकी वजह से उभयपक्ष में पूर्व विवाद की स्थिति थी, परंतु मात्र पूर्व विवाद की वजह से फरियादी पक्ष द्वारा झूठी रिपोर्ट की गई है, ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभियोजन साक्षी/आहतगण इन्द्राबाई, राधनबाई, जसपाल व झुनकीबाई घटना घटित होने एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने के बिन्दु पर अखण्डित रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34(2 काउन्टस) तथा धारा-325/34(2 काउन्टस) का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने से आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34(2 काउन्टस) तथा धारा-325/34(2 काउन्टस) के अपराध के अंतर्गत सिद्धदोष पाया जाता है।

20— आरोपीगण द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,

जिला-बालाघाट

पुनश्च—

21— दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण एवं

फरियादी पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं। विचारण में काफी समय लग गया है। ऐसी स्थिति में उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

22— आरोपीगण तथा फरियादी पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं। आरोपीगण द्वारा फरियादी पक्ष को गंभीर प्रकृति की चोटें विवाद में पहुंचाई गई थी। समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपीगण के साथ नरमी का व्यवहार नहीं किया जा सकता। अतः आरोपीगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

1-आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34(2 काउन्ट्स) का अपराध किया जाना प्रमाणित पाए जाने से न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 100-100 रुपये प्रत्येक काउन्ट, इस प्रकार 200/-रुपये (प्रत्येक आरोपी) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाये जाने की दशा में आरोपीगण को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। अर्थदंड की राशि में से 100/-रुपये प्रत्येक आहत जसपाल व राधाबाई को दं.प्र.सं. की धारा 357(ख) के अंतर्गत प्रतिकर के अंतर्गत दिलाया जावे ।

2- भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325/34(2 काउन्ट्स) का अपराध किया जाना प्रमाणित पाए जाने से आरोपीगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 100-100 रुपये प्रत्येक काउन्ट, इस प्रकार 200/-रुपये (प्रत्येक आरोपी) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है अर्थदंड न चुकाये जाने की दशा में आरोपीगण को 1-1 माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे। अर्थदंड की राशि में से 200/-रुपये प्रत्येक आहत इन्द्राबाई व झुनकीबाई को दं.प्र.सं. की धारा 357(ख) के अंतर्गत प्रतिकर के रूप में दिलाया जावे ।

23— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र बनाकर संलग्न किया जावे।

24— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

25- आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल प्रदान की जाये।

26- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक नग लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही / -

बैहर
दिनांक-02.07.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट